सेवा में,

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

महोदय/हहोदय,

चिठ्ठी: निदेशालय/आयुक्तालय/लेखापरीक्षा द्वारा निदेश और स्पष्टीकरण: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151 क्षेत्र - के संदर्भ में।

जैसा कि आप जानते हैं, जांच, लेखापरीक्षा या जोखखम विश्लेषण आदि के दौरान पाइ गई कार्यप्रणाली, निषेधों या विचारों पर सूचना साझा करने की बढ़ाई के लिए सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क अर्थात वनियालयों/आयुक्तों/लेखापरीक्षा के अंतर्गत सभी प्रतिनिधियों के अंकति सभी प्रधान महावनिेशक/महावनिेशक सीबीआईसी के अंतगडत सभी प्रधान महावनिेशक/महावनिेशक महोिया महोिय/महोिया,

राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

महोदय/हहोदय,

विषय: निदेशालयों/आयुक्तालय/लेखापरीक्षा द्वारा निदेश और स्पष्टीकरण: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151 क्षेत्र - के संदर्भ में।

2. इस संबंध में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151 के संदर्भ में धारा दे जो अकेले बोर्ड को माल के वर्गीकरण में एक प्रकार के प्रयोग के उद्देश्य से या उस पर शुल्क के संदर्भ में आदेश/निदेश जारी करने का अधिकार देता है, इस अधिनियम या कानून के किसी अन्य अधिनियम का कार्यान्वयन, जहां तक वे माल के आयात या निर्यात के लिए किसी भी निषेध, प्रतिबंध या प्रक्रिया से संबंधित है।

3. इसके अलावा, यह सराहना की जा सकती है कि धारा 151 के तहत कर एक आदेश को माल के वर्गीकरण में एक निषेधी द्‍योत में सुरक्षित करना होता है। इस संबंध में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151 के अनुरूप, माल के अधिनियम के सभी मामलों पर एक मानक अभ्यास स्पष्टीकरण करने के लिए, उस पर शुल्क लागाने के संदर्भ में और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के किसी अन्य प्राधिकृत मानक का कार्यान्वयन, जहां तक वे माल के आयात या निर्यात के लिए किसी भी निषेध, प्रतिबंध या प्रक्रिया से संबंधित हो, यह इस अधिनियम के द्वारा निदेशित किया गया है कि-

i. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151 के अंतर्गत अनेक वाले मामलों पर निदेशालय/आयुक्तालय/लेखापरीक्षा कोई परिपत्र, रिपोर्ट या आदेश जारी करने के लिए व्याख्या/स्पष्टीकरण/प्रेषिक्षण की प्रक्रिया का हो, ऐसे सभी मामलों पर स्पष्टीकरण के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151 के तहत बोर्ड द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

ii. वे निदेश निदेशालयों/आयुक्तों/लेखापरीक्षा के अधिकार को दूर नहीं करते हैं-
क) ऐसे मामलों से संबंधित मामलों का विश्लेषण/जांच करना।
ख) सर्कुलर/रिपोर्ट/अल्टर्जी जारी करने जो प्रभाओं में विचलन या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन या धारा 151 के तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन को इंगित करता है।
ग) कार्यप्रणाली या टिप्पणियों और महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर परिपत्र/रिपोर्ट/अल्टर्जी जारी करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस तरह के मामलों में निदेशालयों/आयुक्तालयों/लेखापरीक्षा का विवरण या राय या निष्कर्ष किसी बोर्ड परिपत्र/निर्देश के विपरीत पाया जाता है, तो इसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाना चाहिए और कोई परिपत्र/रिपोर्ट/अल्टर्जी आदि जारी करने से पहले इसकी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

5. उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई को बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

आपका,

(अनंत रघुवर) उप सचिव (सीमा शुल्क)
ईमेल: dircus@nic.in
दूरभाष- 011-23095551